31/7/19	पत्रावली पेश हुई. वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष को पूर्व मे प्रस्तुत राजीनामा पर सुना गया। राजीनामा स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक् से लिखाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर, दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या
49/19
तारीख दायरा
01.05.2019
तारीख फैसला
31.07.2019
पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. लोकेश आत्मज सीताराम
2. राकेश आत्मज सीताराम
3. सुनील आत्मज सीताराम
4. प्रियंका पुत्री सीताराम जाति धाकड निवासीगण टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. सीताराम आत्मज मूल्या जाति धाकड निवासी टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–90ए आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री भारत शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से
– श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–90ए आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद में खाता नं0 401 नया व पुराना 383 पर ख0नं0 1287 रकबा 6.12 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खातें में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 की पुश्तेनी भूमि है जो प्रतिवादी नं0 1 को उनके पिता से प्राप्त हुयी है, यानी वादीगण के दादाजी से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण के पिता है यानी वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र–पुत्री है। इस कारण उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 का बराबर–बराबर का हिस्सा है। वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के साथ उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि वादीगण की पुश्तेनी भूमि है तथा उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण का बराबर–बराबर हिस्सा है। उपरोक्त भूमि को वादीगण काश्त कर अपनें व अपनें परिवार का गुजर बसर करते करते चले आ रहे है तथा वादीगणं की आय का एकमात्र साधन है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण को बराबर–बराबर हिस्से का खातेंदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करानें से इन्कार करनें पर तथा दिनांक 15.07.2019 को उक्त भूमि को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा खुर्द बुर्द व रहन बैचान करानें की धमकी देनें पर पैदा हुआ।

Scanned by CamScanner

वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1287 रकबा 6.12 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम टाकरवाडा सं0 2071–74 खाता नं0 401
2. प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम टाकरवाडा सं0 2043–62
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम टाकरवाडा सं0 2036–39
4. फोटोप्रति आधार कार्ड लोकेश कुमार मालव पुत्र सीताराम
5. फोटोप्रति आधार कार्ड राकेश पुत्र सीताराम
6. फोटोप्रति आधार कार्ड प्रियंका मालव पुत्री सीताराम
7. फोटोप्रति आधार कार्ड सुनील मालव पुत्र सीताराम
8. फोटोप्रति आधार कार्ड सीताराम पुत्र मूलीलाल

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री दिनेश वैष्णव का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 नें प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार किये जानें का निवेदन किया। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया, राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें कथन किये कि "वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य होनें के कारण राजीनामा कर रहे है। ग्राम टाकरवाडा स्थित ख0नं0 1287 रकबा 6.12 हे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी को सहखातेदार घोषित किया जावें तथा राजीनामा के आधार पर सहखातेदार घोषित कर डिक्री जारी कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फरमाया जावें। उक्त राजीनामा दो पक्षों द्वारा बिना दाब दबाव से लिखा है।" उपरोक्तानुसार राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष नें निवेदन किया कि राजीनामा के आधार पर ग्राम टाकरवाडा के ख0नं0 1287 रकबा 6.12 हे0 भूमि में सहखातेदार घोषित कर डिक्री जारी की जावें।

उभयपक्ष को राजीनामा प्रस्तुत करनें पर राजीनामा पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष नें सहमति प्रकट करते हुए सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री भारत शर्मा एवं प्रतिवादी नं0 1 की पहचान अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णव द्वारा प्रमाणित की गई।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर प्रकरणाधीन भूमि के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। चूंकि प्रकरण पिता एवं संतानों के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त

Scanned by CamScanner

संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। जिससे वादीगण अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी प्रतीत होते है। उक्त राजीनामे में किसी प्रकार की राजकीय हानि नहीं होनें से राजीनामा तस्दीक किया जाता है तथा राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जानें योग्य है।

परिणामतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1287 रकबा 6.12 हे0 भूमि में वादीगण लोकेश, राकेश, सुनील पुत्रान प्रियंका पुत्री सीताराम को प्रतिवादी नं0 1 सीताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 31/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. लोकेश आत्मज सीताराम
2. राकेश आत्मज सीताराम
3. सुनील आत्मज सीताराम
4. प्रियंका पुत्री सीताराम जाति धाकड निवासीगण टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. सीताराम आत्मज मून्या जाति धाकड निवासी टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–90ए आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–49 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री भारत शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1287 रकबा 6.12 हे0 भूमि में वादीगण लोकेश, राकेश, सुनील पुत्रान प्रियंका पुत्री सीताराम को प्रतिवादी नं0 1 सीताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.07.2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0

Scanned by CamScanner

महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner